Journal of Advances in Developmental Research (IJAIDR)

E-ISSN: 0976-4844 ● Website: www.ijaidr.com ● Email: editor@ijaidr.com

ग्राम सभा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने में स्वयं सहायता समूह की भूमिका

चन्द्र कांत झा

शोधार्थी
स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारांश

ग्राम सभा भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है, जो स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने और जनभागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रमुख माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी लंबे समय तक सीमित रही है, जिसका मुख्य कारण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाएँ रही हैं। इस संदर्भ में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह शोध–पत्र ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का विश्लेषण करता है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएँ न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जागरूकता भी विकसित होती है। यह समूह महिलाओं को एक मंच प्रदान करते हैं, जहाँ वे अपने मुद्दों को साझा कर सकती हैं और सामूहिक रूप से समाधान खोज सकती हैं। परिणामस्वरूप, वे ग्राम सभा जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने लगती हैं।

यह अध्ययन दर्शाता है कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने का प्रभावी माध्यम हैं। अभी भी कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं, जैसे सामाजिक प्रतिबंध, शिक्षा की कमी और संसाधनों की सीमाएँ। स्वयं सहायता समूह और ग्राम पंचायतों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके महिलाओं की भागीदारी को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

शब्दकुंजी : स्वयं सहायता समूह, सशक्तिकरण, नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल, सामाजिक जागरूकता एवं सक्रिय भागीदारी इत्यादि

भूमिका :

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का वास्तविक आधार स्थानीय स्तर पर नागरिकों की सक्रिय भागीदारी है, और इसी संदर्भ में ग्राम सभा का विशेष महत्व है। ग्राम सभा केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि यह ग्रामीण लोकतंत्र की आत्मा है, जहाँ प्रत्येक वयस्क नागरिक को विकास योजनाओं, संसाधनों के उपयोग और सामाजिक निर्णयों में सीधे भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। यह मंच पारदर्शिता, जवाबदेही और जनकल्याणकारी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यावहारिक स्तर पर यह देखा गया है कि ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम और कई बार औपचारिक मात्र रह जाती है, जो लोकतंत्र के समावेशी स्वरूप को कमजोर करती है।

महिलाओं की सीमित भागीदारी के पीछे अनेक संरचनात्मक और सामाजिक कारण निहित हैं। ग्रामीण समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का गहरा प्रभाव है, जहाँ महिलाओं को मुख्यतः घरेलू कार्यों तक

सीमित कर दिया जाता है। शिक्षा का अभाव, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक संकोच और पारिवारिक नियंत्रण जैसी परिस्थितियाँ उन्हें सार्वजनिक जीवन से दूर रखती हैं। इसके अतिरिक्त, कई महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का अनुभव न होना भी उनकी सक्रिय भागीदारी में बाधा उत्पन्न करता है। कई बार उन्हें अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलता या उनके विचारों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जिससे उनकी रुचि और भागीदारी दोनों प्रभावित होती हैं।

ऐसी परिस्थितियों में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं। स्वयं सहायता समूह छोटे–छोटे समूह होते हैं, जिनमें समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाएँ नियमित रूप से मिलती हैं, बचत करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्राप्त करती हैं। यह प्रक्रिया उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाती है और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करती है। इसके साथ ही, समूह की नियमित बैठकों और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और सामाजिक जागरूकता का विकास होता है।

स्वयं सहायता समूह महिलाओं को एक सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करते हैं, जहाँ वे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकती हैं और सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान खोज सकती हैं। इस प्रक्रिया में उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के लिए प्रेरित होती हैं। जब महिलाएँ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्त होती हैं, तो वे ग्राम सभा में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने लगती हैं, अपने मुद्दों को उठाती हैं और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इससे न केवल उनकी आवाज को महत्व मिलता है, बल्कि विकास योजनाएँ भी अधिक समावेशी, न्यायसंगत और प्रभावी बनती हैं। स्वयं सहायता समूह ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

साहित्य की समीक्षा :

विभिन्न विद्वानों और शोधकर्ताओं ने महिलाओं की भागीदारी और स्वयं सहायता समूह की भूमिका पर व्यापक अध्ययन किए हैं। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कुमार (2018)[1] के अनुसार, स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिससे वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक आत्मविश्वास के साथ भाग ले पाती हैं।

शर्मा (2019)[2] ने अपने अध्ययन में पाया कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जागरूकता का विकास होता है, जो उन्हें ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है।

नाबार्ड की रिपोर्ट (2020)[3] के अनुसार, स्वयं सहायता समूह ने ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय समावेशन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हुई है, बल्कि उनके सामाजिक दर्जे में भी सुधार हुआ है।

विश्व बैंक के एक अध्ययन (2021)[4] में यह निष्कर्ष निकाला गया कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सामूहिक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं और स्थानीय शासन में भागीदारी बढ़ाती हैं।

सिंह (2017)[5] के अनुसार, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समूह महिलाओं में नियमित बचत की आदत विकसित करते हैं तथा उन्हें छोटे

ऋणों की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे वे स्वरोजगार और लघु उद्यमों की ओर अग्रसर होती हैं। परिणामस्वरूप, उनकी आय में वृद्धि होती है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, जिससे परिवार के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और प्रभाव दोनों सुदृढ़ होते हैं।
वर्मा (2020)[6] ने अपने अध्ययन में पाया कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के बीच सामाजिक एकजुटता, पारस्परिक सहयोग तथा विश्वास की भावना को बढ़ावा देते हैं। समूह के माध्यम से महिलाएँ अपने अनुभवों, समस्याओं और समाधानों को साझा करती हैं, जिससे उनमें नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। यह प्रक्रिया उन्हें न केवल व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त बनाती है, बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती है।

United Nations Development Programme (2019)[7] की रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण के एक प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, जो महिलाओं को वित्तीय समावेशन से जोड़ने के साथ–साथ उन्हें सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी सशक्त बनाते हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होती हैं और स्थानीय शासन तथा विकास प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने लगती हैं। उपर्युक्त अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे उनका समग्र विकास संभव हो पाता है।

उद्देश्य :
इस शोध–पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–
1. ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का विश्लेषण करना।
3. स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का मूल्यांकन करना।
4. महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति
ग्राम सभा ग्रामीण लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है, जहाँ सभी वयस्क नागरिकों को स्थानीय विकास और प्रशासनिक निर्णयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बावजूद, वास्तविकता यह है कि महिलाओं की भागीदारी अभी भी कई क्षेत्रों में सीमित और प्रतीकात्मक बनी हुई है। यद्यपि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे उनकी प्रतिनिधित्व संख्या में वृद्धि हुई है, फिर भी उनकी सक्रिय और प्रभावी भागीदारी में कई बाधाएँ मौजूद हैं। कई मामलों में महिलाएँ ग्राम सभा की बैठकों में केवल उपस्थिति दर्ज कराती हैं, लेकिन निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हो पातीं।

इस स्थिति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की भूमिका पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों तक सीमित मानी जाती है, जिससे उन्हें सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त, शिक्षा की कमी, आत्मविश्वास का अभाव, और सामाजिक प्रतिबंध भी उनकी भागीदारी को प्रभावित करते हैं। कई बार महिलाओं को परिवार के पुरुष सदस्यों की अनुमति पर निर्भर रहना पड़ता है,

जिससे उनकी स्वतंत्र भागीदारी बाधित होती है। कानूनी प्रावधानों के बावजूद, महिलाओं की वास्तविक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है।

स्वयं सहायता समूह का स्वरूप और कार्य

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के संगठन का एक प्रभावी माध्यम हैं, जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 महिलाएँ शामिल होती हैं, जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आती हैं। ये समूह नियमित रूप से बैठक करते हैं, जिसमें सदस्य अपनी छोटी–छोटी बचत जमा करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर समूह से ऋण लेती हैं। स्वयं सहायता समूह वित्तीय समावेशन का एक सशक्त माध्यम बनते हैं, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से दूर रहती हैं।

स्वयं सहायता समूह केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक और सामुदायिक विकास के लिए भी कार्य करते हैं। समूह की बैठकों के दौरान महिलाएँ अपने व्यक्तिगत और सामूहिक मुद्दों पर चर्चा करती हैं, जिससे उनमें संवाद कौशल और सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता से संबंधित जानकारी भी प्राप्त होती है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं, जहाँ वे न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनती हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी जागरूक और सक्रिय नागरिक के रूप में उभरती हैं।

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्तिकरण

स्वयं सहायता समूह महिलाओं के बहुआयामी सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन हैं, जो उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह महिलाओं को बचत और ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे वे छोटे–छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकती हैं। इससे उनकी आर्थिक निर्भरता कम होती है और वे अपने परिवार में भी निर्णय लेने में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने लगती हैं। सामाजिक सशक्तिकरण के स्तर पर स्वयं सहायता समूह महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। समूह की बैठकों में नियमित भागीदारी और सामूहिक चर्चा के माध्यम से महिलाएँ अपनी समस्याओं को खुलकर व्यक्त करना सीखती हैं। इससे उनकी पहचान एक सक्रिय सामाजिक सदस्य के रूप में स्थापित होती है। इसके अतिरिक्त, वे सामाजिक मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता के प्रति अधिक जागरूक होती हैं।

राजनीतिक सशक्तिकरण भी स्वयं सहायता समूह का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब महिलाएँ आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होती हैं, तो वे स्थानीय शासन की प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने लगती हैं। वे ग्राम सभा में अपने विचार प्रस्तुत करती हैं, विकास योजनाओं पर चर्चा करती हैं और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को केवल सशक्त ही नहीं बनाते, बल्कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार भी बनाते हैं।

ग्राम सभा में भागीदारी पर स्वयं सहायता समूह का प्रभाव

स्वयं सहायता समूह का ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी पर सकारात्मक और व्यापक प्रभाव देखा गया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएँ अधिक जागरूक, आत्मविश्वासी और संगठित

होती हैं, जिससे वे ग्राम सभा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित होती हैं। समूह के माध्यम से प्राप्त जानकारी और अनुभव उन्हें यह समझने में मदद करते हैं कि ग्राम सभा में उनकी भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है और वे किस प्रकार अपने समुदाय के विकास में योगदान दे सकती हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सामूहिक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से उठा सकती हैं। उदाहरण के लिए, जल आपूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को महिलाएँ ग्राम सभा में सामूहिक रूप से प्रस्तुत करती हैं और उनके समाधान के लिए प्रयास करती हैं। इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, जिससे वे पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाने के लिए तैयार होती हैं।

इस प्रकार स्वयं सहायता समूह ग्राम सभा को अधिक समावेशी और सहभागी बनाते हैं। जब महिलाएँ सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, तो निर्णय प्रक्रिया में विविध दृष्टिकोण शामिल होते हैं, जिससे विकास योजनाएँ अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनती हैं। यह न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, बल्कि संपूर्ण ग्रामीण समाज के विकास में भी योगदान करता है।

चुनौतियाँ

स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी कई चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। सबसे प्रमुख चुनौती सामाजिक प्रतिबंध हैं, जो महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से रोकते हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पितृसत्तात्मक सोच प्रबल है, जिसके कारण महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित होती है। शिक्षा का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। अशिक्षित या कम शिक्षित महिलाएँ ग्राम सभा की प्रक्रियाओं को पूरी तरह समझ नहीं पातीं, जिससे उनकी भागीदारी प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, समय की कमी भी एक बड़ी बाधा है, क्योंकि महिलाएँ घरेलू कार्यों और पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती हैं। पुरुष प्रधान मानसिकता भी महिलाओं की भागीदारी को सीमित करती है। कई बार पुरुष सदस्य महिलाओं के विचारों को महत्व नहीं देते, जिससे उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसके अलावा, संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी भी स्वयं सहायता समूह के प्रभाव को सीमित करती है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए समग्र और सतत प्रयासों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह ग्राम सभा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने में एक अत्यंत प्रभावी और महत्वपूर्ण माध्यम हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। इनके माध्यम से महिलाएँ न केवल आत्मनिर्भर बनती हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जागरूकता का भी विकास होता है। ग्राम सभा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाती है। जब महिलाएँ अपने विचार और अनुभव साझा करती हैं, तो विकास योजनाएँ अधिक संतुलित और न्यायसंगत बनती हैं। इस दिशा में अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं, जैसे सामाजिक प्रतिबंध, शिक्षा की कमी और पुरुष प्रधान मानसिकता। इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार, पंचायतों और सामाजिक संगठनों को मिलकर कार्य करना होगा।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यदि स्वयं सहायता समूह को और अधिक सशक्त और संगठित किया जाए, तो वे महिलाओं की भागीदारी को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं। इससे न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, बल्कि ग्रामीण विकास और लोकतांत्रिक शासन को भी नई दिशा मिलेगी।

संदर्भसूची :

1. कुमार, आर. (2018) : ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका, नई दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
2. शर्मा, पी. (2019) : ग्रामीण महिलाओं में नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जागरूकता पर स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 7(2), 45–52.
3. National Bank for Agriculture and Rural Development (2020) : भारत में माइक्रोफाइनेंस की स्थिति (2019–20). मुंबई : नाबार्ड.
4. World Bank (2021). स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण : ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से प्रमाण, वाशिंगटन, डी.सी. : विश्व बैंक.
5. सिंह, ए. (2017) : ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.
6. वर्मा, एस. (2020) : स्वयं सहायता समूह और सामाजिक एकजुटता : एक अध्ययन, भारतीय सामाजिक विज्ञान समीक्षा, 8(1), 60–68.
7. United Nations Development Programme (2019) : महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह : एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य. न्यूयॉर्क.